

(देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम)

गौरी देवी

आदेश पत्रक-ता०

जिला-पलामू

का प्रकार-बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4 (h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

आदेश की
क्र०स०
और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कारवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

1 2 3

झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15.07.2020 एवं अपर समाहर्ता, पलामू के पत्रांक 997/रा०, दिनांक 31.07.2020 में निहित निदेशों के अनुपालन में गैरमजसूआ खास भूमि की अवैध/संदेहास्पद जमाबन्दी से संबंधित अभिलेख खोलकर निर्णय लेने का आदेश दिया गया है। हल्का राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित भूमि की विवरणी।

मौजा देऊआ थाना न० 560 खाता संख्या 60

प्लॉट संख्या 192 के 158 एकड़ 4.80 एकड़ की भूमि जो गैरमजसूआ

खास, अनाबाद झारखण्ड सरकार की खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबन्दी उस मौजा

के पंजी-II के जिल्द सं० 3 के पृष्ठ संख्या 87 पर

जमाबन्दी रैयत श्रीमती गौरी देवी, पति- जंगल प्रसाद साहू

के नाम से कायम है।

संबंधित पक्षकार को नोटिस निर्गत करें एवं अभिलेख दिनांक 03/01/2025

उपस्थापित करें।

अभिलेख स्वीकृति हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, सबर मेविनीनगर, पलामू को भेजे।

अंचल अधिकारी,
पाण्डू पलामू।

03.01.25

अभिलेख उपस्थापित नोटिस रामिला कराभा तथा पाण्डू थाना में रामिला परिवेशन ग्राम श्रीमती गौरी देवी पति जंगल प्रसाद साहू मौजा: देऊआ, थाना: पाण्डू जिला: पलामू द्वारा कागजात भूमि से संबंधित प्रस्तुत किया गया। श्रीमती गौरी देवी पति जंगल प्रसाद साहू के द्वारा फाइल नं०: 1252/1242 दिनांक 13.02.24 बनाम श्रीमती गौरी देवी पति जंगल प्रसाद साहू मौजा देऊआ थाना नं०: 560 खाता 60 प्लॉट नं०: 192 एकड़ 4.80 एकड़ कागजात कागजात स्वीकृत बनाम श्रीमती गौरी देवी पति जंगल प्रसाद साहू खाता नं० 60 प्लॉट नं० 192 के 158 एकड़ 4.80 एकड़ कागजात ग्राम देऊआ। ग्राम राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा भूमि स्वत्वनिर्णय जॉन्ट प्रविनेशन में प्रविनेशील किया गया है। कि 1) मौजा देऊआ के खाता नं० 60 प्लॉट नं० कागजात: 192, 158 एकड़ कागजात: 6.93 एकड़ 16.50 एकड़ निरुद्ध कागजात: जंगल माजी

जंगल भाड़ी रैयत :- जैरमजसका खास आनलपन खतिमान में दर्ज है।
 11) मौजा-इरुआ के भौलूम नं० 3 पैज नं० 87 के मांग पंजी II में
 रैयत :- जौरी देवी पति जंगा प्रसाद साह, खाता 60, लोह-192, 158
 कुल रकबा :- 4.80 एकड़, परिवर्तन के लिए प्राधिकार :- Volume
 P.S H.No.-133 माल गुजारी 99-2000 तक वसूल दर्ज है। अंचल अमीन
 से भूमि संबंधित भौतिक स्थापन परिवेदन की मांग करे एवं अभिलेख
 दिनांक की उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
 पाण्डु

14/01/21

अभिलेख उपस्थापित अंचल अमीन से भौतिक स्थापन परिवेदन
 प्राप्त अवैध/संदेहास्पद जमाबन्दी केस नं० 48/8018-18 जमाग श्रीमती
 जौरी देवी 10/0 जंगा प्रसाद साह मौजा-इरुआ खाना नं० 560 अन्दर
 खाता 60 लोह 192, 158 रकबा 4.40 एकड़ 0.40 एकड़ कुल रकबा 4.80
 एकड़ पर गया। अवैध/संदेहास्पद जमाबन्दीदार श्रीमती जौरी देवी
 10/0 जंगा प्रसाद से राजस्व प्रमाण का अपाकरण भिया, अपाकरण
 पश्चात् पाया की केसाला नं० 1252/1242 दिनांक 13-02-21 को खिन्ना
 श्रीमती माजमती देवी 10/0 श्री लक्ष्मी नारायण सिंह साखीन तिलीपार
 खुर्द से केस-श्रीमती जौरी देवी 10/0 जंगा प्रसाद के लार्से मौजा
 इरुआ खाना नं० 560 खाता 60 लोह 192 रकबा 2.40 एकड़ भूमि प्राप्त
 है। एवं राजस्व स्वीट नं० 0228/61602 आनलपन पैज नं० 87/3
 पर श्रीमती जौरी देवी के लार्से वर्ष 2019-20 तक कायमी है। उक्त रसीद
 में खाता 60 लोह 192, 158 कुल रकबा 4.80 एकड़ दर्ज है। उपस्थित
 व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त हुई की उक्त लोहों पर वर्तमान में श्रीमती
 जौरी देवी का इराफा में है।

राजस्व उप निरीक्षक सह अंचल निरीक्षक
 अंचल अमीन के जांच परिवेदन के आलोक में एवं विक्रम पत्र संख्या
 1252/1242 दिनांक 13-02-21 में निम्नेता श्रीमती माजमती देवी 10/0
 श्री लक्ष्मी नारायण सिंह के द्वारा दावा भिया गया है कि उक्त लोह
 नं० 192 8 किमर रैयती की भूमि है। जल्दी लोह नं० 192 जैरमजसका
 खास जंगल भाड़ी निरुम की भूमि है। एवं मांग पंजी II के पैज नं०
 87 भौलूम नं० 3 के परिवर्तन के लिए प्राधिकार में Volume P.S H.No
 133 माल गुजारी 99-2000 तक वसूल दर्ज है। अर्थात् मांग दर्ज करने
 का कोई आधार प्रदर्शित नहीं होता है। जल्दी खाता 60 लोह 192
 एवं 158 जैरमजसका खाता जंगल भाड़ी निरुम की भूमि है। उक्त
 के आलोक में अवैध जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की जाती
 है। अभिलेख भूमि सुधार उप अधिनियम, 1948 में निम्नानुसार भी भेजे।
 लेखापित एवं स्वस्थित।

अंचल अधिकारी
 पाण्डु

अंचल अधिकारी
 पाण्डु